संख्याः 2301 / सात / 05 / 11–उद्योग / 2004

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तरांचल,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांकः 03 दिसम्बर, 2005

विषयः **एकीकृत मार्जिन मनी ऋण, जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण योजना तथा इसके अतिरिक्त अन्य छूटी हुई विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत बकाया देयों की अधिकतम वसूली हेतु एक मुश्त समाधान योजना (One time settlement)।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्याः 886 / उ0नि0 / सात / 61 / 2005–06 दिनांक 08 जून, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने तथा विभागीय योजनाओं में देयों की अधिकतम वसूली के उद्देश्य से शासन द्वारा गतवर्षों के दौरान चलायी गयी निम्नांकित योजनाओं में प्रदत्त ऋण में बकाया धनराशियों के मूलधन एवं ब्याज की अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने हेतु एक मुश्त समाधान योजना **(One time settlement)** को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. **आच्छादित योजनायें :**
   (1) एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना।
   (2) जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण योजना।
   (3) जिला उद्योग केन्द्र ऋण योजना।
   (4) विकास केन्द्र ऋण योजना।
   (5) मुख्यालय निधि ऋण योजना।
   (6) आयुक्त निधि ऋण योजना।
   (7) विकास केन्द्र मार्जिन मनी ऋण योजना।
   (8) बैकवर्ड / सीमान्त विकास ऋण योजना।
   (9) हस्तकला ऋण योजना।
   (10) औद्योगिक सहकारी समिति ऋण योजना।
   (11) आर0आई0पी0 ऋण योजना।
   (12) अन्तर्जातीय विवाह ऋण योजना।

2. **योजना का उद्देश्य :** इकाईयों को सहूलियतें देते हुए ऋण के रूप में वितरित अधिकतम धनराशि की वसूली सुनिश्चित किया जाना।

3. **पात्रता :**

(1) जिला स्तरीय उद्योग मित्र द्वारा चिन्हित लघु उद्योग क्षेत्र की ऐसी औद्योगिक इकाईयॉ, जो वर्तमान में कार्यरत/रूग्ण/रूणोन्मुखी अथवा बन्द हों।

(2) बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित ऐसी इकाईयॉ, जिन्होंने विभागीय ऋण योजनाओं का लाभ लिया हो तथा वह सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण पर बैंक की "वन टाईम सेटेलमेंट योजना" में लाभान्वित हो चुके हों।

(3) उ0प्र0 वित्तीय निगम की धारा–29 के अन्तर्गत कार्यवाही के अधीन अथवा नीलामी की जा चुकी ऐसी इकाईयों, जिन्हें विभागीय ऋण योजना में ऋण दिया गया हो।

4. **योजनान्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया/अनुमन्य लाभ :**

(1) प्रस्तावित उक्त योजना में मूलधन एक वर्ष में 2 या 3 किश्तों में तथा साधारण ब्याज का 25 प्रतिशत तक तत्काल देने में दण्ड/चक्रवृद्धि ब्याज व 75 प्रतिशत साधारण ब्याज तक की छूट देने का प्रस्ताव है।

(2) पात्र इकाईयों को समस्त अवशेष देयों की 10 प्रतिशत धनराशि अग्रिम देय मूलधन की किश्त में किया जायेगा।

(3) पात्रता की श्रेणी में आने वाली लघु औद्योगिक इकाईयों को योजना का लाभ स्वीकृत करने से पूर्व जिला उद्योग मित्र द्वारा अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा।

5. **इकाईयों को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा:**

(1) इस योजना के प्रयोजन हेतु पात्र इकाईयों से मूलधन एवं 25 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जायेगा। ऐसी इकाईयों से मूलधन पर चक्रवृद्धि/दण्ड ब्याज नहीं लिया जायेगा।

(2) ऐसी इकाईयॉ, जिनके ऋणी या खाताधारक की मृत्यु हो चुकी है तथा इकाई बन्द हो चुकी है एवं उनके विधिक उत्तराधिकारी भी पर्याप्त आमदनी वाले नहीं हैं, जैसे (आय न करने वाली आश्रित विधवा अथवा ऋणी के नाबालिग बच्चे आदि) से केवल अवशेष मूलधन बिना ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज के उस सीमा तक वसूली की जा सकती है, जितनी कि मृतक ने मृत्यु के समय अपने उत्तराधिकारियों

को उत्तराधिकार में मिली सम्पत्ति की सीमा तक ही वसूली की जा सकती है, उससे अधिक नहीं।

(3) नियमानुसार रूग्ण चिन्हित एवं उपरोक्त पैरा–5 (2) में उल्लिखित ऐसी बन्द इकाईयॉं, जिनकी ऋणी या खाताधारक तथा उनके विधिक उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं हैं तथा परिसम्पत्तियॉं भी उपलब्ध नहीं हैं, से सम्बन्धित आख्या जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग मित्र में रखेंगे। यदि जिला उद्योग मित्र द्वारा ऐसे ऋण को बट्टे खाते में डालने योग्य माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में निम्नवत् निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(अ) जिला उद्योग मित्र रू0 5,000/– की सीमा तक, प्रतिबन्ध यह है कि उद्योग निदेशालय एवं शासन को यथानुसार अवगत कराया जायेगा।

(ब) आयुक्त एवं उद्योग निदेशक रू0 10,000/– की सीमा तक, प्रतिबन्ध यह है कि शासन को यथानुसार अवगत कराया जायेगा।

(स) सम्बन्धित विभाग (लघु उद्योग विभाग) रू0 1 लाख की सीमा तक, प्रतिबन्ध यह है कि इससे अधिक को बट्टे खाते में डालने के सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति यथानुसार प्राप्त की जायेगी।

(द) नियमानुसार रूग्ण चिन्हित ऐसी इकाईयॉं, जिनके भूमि, भवन एवं मशीन उपलब्ध एवं चालू हालत में है, से मूलधन एवं शतप्रतिशत साधारण ब्याज लिया जायेगा, परन्तु उन इकाईयों से मूलधन पर चक्रवृद्धि/दण्ड ब्याज नहीं लिया जायेगा।

6. **कार्यवाही :**

(1) सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उत्तरदायी होंगे तथा नोडल अधिकारी की भॉंति कार्य करेंगे तथा इसकी प्रगति समीक्षा एवं मामलों का मासिक अनुश्रवण जिला उद्योग मित्र की बैठकों में नियमित रूप से किया जायेगा।

(2) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा योजना का समुचित प्रचार–प्रसार कराया जायेगा तथा पात्रता की श्रेणी में आने वाली सभी इकाईयों को अवगत

कराया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा योजनान्तर्गत आवेदन पत्र महाप्रबन्धक को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें अनुमन्य लाभ का स्पष्ट विकल्प दिया जायेगा।

(4) आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि के बाद अगली जिला उद्योग मित्र की बैठक में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा मामले को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उद्योग मित्र की स्वीकृति के आधार पर महाप्रबन्धक द्वारा "वन टाईम सेटेलमेंट" आदेश निर्गत किया जायेगा, जिसके साथ हस्ताक्षरित की हुई ट्रेजरी चालान, भुगतान करने की तिथ अंकित करते हुए उद्यमी को उपलब्ध कराई जायेगी, साथ ही आदेशों में किश्तों की तिथियों एवं देय ब्याज/धनराशि को स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

7. योजना की अवधि :

(1) औद्योगिक ऋणों की वसूली हेतु निर्धारित समय सीमा इस योजना के एतद्विषयक शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 वर्ष तक होगी।

(2) उद्यमी/इकाई/ऋण से प्राप्त प्रस्ताव पर जिला उद्योग मित्र की स्वीकृति के पश्चात बिलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में "वन टाईम सेटेलमेंट" के आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।

8. ओवर राइडिंग इफेक्ट :

इस योजना के अन्तर्गत "वन टाईम सेटेलमेंट" आदेशों के अधीन निर्धारित किश्तों के भुगतान स्पष्ट रूप से उल्लिखित तिथियों में प्रथम व द्वितीय किश्तों (अन्तिम किश्त को छोड़कर) के डिफाल्ट होने पर "वन टाईम सेटेलमेंट" आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं इस आदेश के अधीन इकाई द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि सम्बन्धित योजनान्तर्गत सेटेलमेंट के पूर्व देयों के विरूद्ध समायोजित कर ली जायेगी। इस शर्त का भी उल्लेख पारित होने वाले वन टाईम सेटेलमेंट आदेश के अधीन मूल योजना के अन्तर्गत निष्पादित किया गया अनुबन्ध पत्र सेटेलमेंट के अधीन निर्धारित प्रथम व द्वितीय किश्त के डिफाल्टर होने तक निष्प्रभावी रहेगा। पारित आदेश में यह भी उल्लेख कर दिया जायेगा कि पात्र उद्यमी/इकाई/ऋणी को यह सुविधा एक बार ही अनुमन्य होगी।

2– इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त योजना का प्रचार–प्रसार करने तथा पात्रता की श्रेणी में आने वाली समस्त इकाईयों को अवगत कराके अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2301(1)/सात/05/11–उद्योग/2004, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. अपर निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, देहरादून।
6. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरांचल।
7. वित्त अनुभाग–2,
8. गोपन अनुभाग।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तरांचल देहरादून को प्रचार–प्रसार हेतु।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।